संख्या सा-3-728/दस-98-901-98

प्रेषक,

श्री आलोक रंजन
सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 *[लखनऊः दिनांक 10 जुलाई, 1998*

विषय : राज्य सरकारों के अधीन स्वायत्तशासी निकायों में संविलियन माँगने वाले केन्द्रीय सरकारी तथा केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों तथा केन्द्रीय सरकार के तथा केन्द्रीय स्वायत्त निकायों में संविलियन माँगने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों की पेंशन के प्रयोजन से सेवा का गिना जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस राज्य सरकार में यह व्यवस्था विद्यमान है कि केन्द्र सरकार का कर्मचारी राज्य सरकार में सेवा स्थानान्तरण के आधार पर आता है या उन्हीं परिस्थितियों में राज्य सरकार का कर्मचारी भारत सरकार के कार्यालय में जाता है, तो जहाँ से वह सेवानिवृत्त होगा वही सरकार उसके नैवृत्तिक लाभों का भुगतान करेगी। काफी समय से यह माँग की जा रही है कि केन्द्र सरकार के स्वायत्तशासी निकाय का कर्मचारी राज्य सरकार के स्वायत्तशासी निकाय में या राज्य सरकार में प्रतिनियुक्ति पर आए या सीधे सेवा ग्रहण करें या उन्हीं परिस्थितियों में केन्द्र सरकार के स्वायत्तशासी निकाय का कर्मचारी भारत सरकार के स्वायत्तशासी निकाय में प्रतिनियुक्ति पर या सीधी भर्ती से की जाये तो उसकी सम्पूर्ण सेवा अवधि के आधार पर नैवृत्तिक लाभ दिये जायें। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के अन्तर्गत ही राज्य सरकार का कर्मचारी राज्य सकरार के ऐसे उपक्रम/निगम में स्थानान्तरण/सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति के आधार पर जाता है या उन्हीं परिस्थितियों में राज्य सरकार के उपक्रम /निगम का कर्मचारी राज्य सरकार में आता है तो प्रश्नगत सुविधा उन्हें भी उपलब्ध करायी जाये।

2. शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार का कर्मचारी भारत सरकार के उपक्रम/निगम में स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति के आधार पर जाता है और संविलीन हो जाता है या उसी परिस्थिति में भारत सरकार का कर्मचारी राज्य सरकार के उपक्रम/निगम में आता है और संविलीन हो जाता है तो यदि दोनों पद पेंशनेबुल हैं तो उसके द्वारा दोनों पदों पर की गई अर्ह सेवा के योग पर नैवृत्तिक लाभ अनुमन्य होंगे। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के अन्तर्गत ही राज्य सरकार का कर्मचारी राज्य सरकार के उपक्रम/निगम में स्थानान्तरण/सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति के आधार पर जाता है या राज्य सरकार में आता है, जहाँ राज्य सरकार के संबंधित उपक्रम/निगम में पेंशन की सुविधा उपलब्ध हो एवं संबंधित कर्मचारी का संविलियन सेवानिवृत्त होने वाले उपक्रम/निगम/सरकार में हो गया हो, तो यदि दोनों ही पद पेंशनेबुल हों, तो उसके द्वारा दोनों पदों पर की गई अर्ह सेवा पर

नैवृत्तिक लाभ अनुमन्य होंगे और दोनों अवधियों को जोड़कर सेवा नैवृत्तिक लाभों का भुगतान उसी संस्थान/सरकार द्वारा किया जायेगा जहाँ से वह अन्तिम रूप से सेवानिवृत्त हो रहा है। इस प्रकार के मामलों में कर्मचारी पर वहीं पेंशन नियम लागू होंगे जैसी कि उस सरकार/उपक्रम/निगम में लागू हों।

(1) जब किसी पेंशनयुक्त संगठन में कार्य कर रहे राज्य सरकार के किसी कर्मचारी को किसी स्वायत्त निकाय में संविलियन की अनुमति दी जाती है तो उसके द्वारा सरकार के अधीन की गयी सेवा को स्वायत्त निकाय के अधीन पेंशन के लिए आगणित कराने की अनुमति होगी चाहे उक्त कर्मचारी सरकार में अस्थायी रहा हो अथवा स्थायी, किन्तु पेंशन संबंधी सुविधायें केवल तभी मिलेंगी, जबकि अस्थायी सेवा के बाद उनका स्थायीकरण हो गया हो। यदि वह स्वायत्तशासी निकाय में अस्थायी कर्मचारी के रूप में सेवानिवृत्त हो जाता है तो उसे सेवान्त प्रसुविधायें उसी प्रकार मिलेंगी जो सामान्यतः सरकार के अधीन अस्थायी कर्मचारियों को उपलब्ध हैं। स्वायत्त निकायों को जो कर्मचारी राज्य सरकार के अधीन स्थायी तौर पर संविलीन हो जाते हैं उनके मामलों में भी वही क्रियाविधि लागू होगी।

स्वायत्त निकाय/सरकार में जैसा भी मामला जो संविलियन की तारीख तक की सेवा के लिए अनुपातिक दरों पर पेंशन/सेवा उपादान/सेवान्त उपादान तथा मृत्यु और सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं का भुगतान करके सरकार/स्वायत्त निकाय अपने पेंशन दायित्व को पूरा करेगी। अनुपातिक दरों पर पेंशन की राशि समय-समय पर यथासंशोधित शासनादेशों को ध्यान में रखकर निश्चित की जायेगी।

(2) अंशदायी भविष्य निधि प्रसुविधाओं का हकदार कर्मचारी यह विकल्प देगा कि वह या तो स्वायत्तशासी निकाय से मिलने वाली अंशदायी भविष्य निधि प्रसुविधायें प्राप्त करेगा अथवा उसे राज्य सरकार के राजकोष में जमा करेगा और राज्य सरकार में पेंशन के लिए अर्ह सेवा के रूप में गिने जाने का विकल्प देगा। इसी प्रकार से सरकारी सेवक स्वायत्त निकाय की सेवा में योगदान करने पर शासन के अधीन सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि संबंधित स्वायत्त निकाय को भुगतान कर दी जायेगी। ऐसा विकल्प संविलियन की तारीख से एक वर्ष के भीतर दिया जा सकेगा। यदि निर्धारित अवधि के भीतर विकल्प नहीं दिया जाता है तो यह मान लिया जायेगा कि कर्मचारी ने अंशदायी भविष्य निधि/सामान्य भविष्य निधि प्रसुविधायें प्राप्त करने के लिए विकल्प दे दिया है। एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा।

(3) जब किसी स्वायत्तशासी निकाय के किसी कर्मचारी को केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के अधीन स्थायी तौर पर संविलीन कर दिया जाता है तो उसके सामने दो विकल्प रहेंगे, अर्थात् या तो वह स्वायत्तशासी निकाय द्वारा देय अंशदायी भविष्य निधि प्रसुविधायें प्राप्त कर लें और सरकार में नये सिरे से नौकरी शुरू करे या अंशदायी भविष्य निधि में नियोक्ता के अंशदान और उस पर देय ब्याज सहित, सम्पूर्ण राशि राज्य सरकार के खाते में जमा कर दे और सरकार के अधीन पेंशन प्रयोजनों हेतु अर्ह सेवा के रूप में जुड़वाने का विकल्प दे दे। यह विकल्प संविलियन की तारीख से एक वर्ष के भीतर दिया जायेगा। यदि निर्धारित अवधि के भीतर कोई विकल्प नहीं दिया जाता है तो यह समझ लिया जायेगा कि कर्मचारी ने अंशदायी भविष्य निधि/सामान्य भविष्य निधि प्रसुविधायें प्राप्त करने का विकल्प दिया है। एक बार किया गया विकल्प अन्तिम होगा।

3. राज्य सरकार के अधीन भारत सरकार द्वारा नियत आदेश दिनांक 7-2-1986 से प्रभावी माने जाएँगे।

भवदीय,
आलोक रंजन
सचिव वित्त।